न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, R.A.S.

आवेदनपत्र संख्या 79 / 2014
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुरेन्द्रसिंह एवं
2. चरणजीतकौर आत्मजन श्री गोरासिंह,
3. हरप्रीतसिंह आत्मज श्री सुखमन्दरसिंह एवं
4. सुखविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री सुखमन्दरसिंह, जटसिख, आजमवाला तहसील एवं जिला फाजिल्का (पंजाब)

....आवेदकगण

बनाम

1. जसवीरकौर आत्मजा श्री जंगीरसिंह,
2. हरजिन्द्रकौर धर्मपत्नी गुरचरणसिंह,
3. गुरमीतसिंह आत्मज श्री गुरचरणसिंह,
4. अमृतपालकौर एवं
5. वीरपालकौर आत्मजन श्री गुरचरणसिंह,
6. सोहनसिंह आत्मज श्री प्रीतमसिंह,
7. बलजीतकौर धर्मपत्नी श्री प्रीतमसिंह,
8. खुशदीपसिंह आत्मज श्री सुखराजसिंह,
9. कुलविन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री सुखराजसिंह एवं
10. पवनदीपकौर आत्मजा श्री हरदीपसिंह, जटसिख, आजमवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

....अनावेदकगण

उपस्थित– श्री सुल्तानसिंह बुढानिया (आवेदकगण)
श्री राजेश गुम्बर (अनावेदकगण)

दिनांक 19 जनवरी, 2015

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 5 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59 / 53 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 11 / 2(0.063), किला नम्बर 20 / 2(0.126), किला नम्बर 21(0.253) कुल 0.442 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 56 किला नम्बर 1 से 25(6.325), मुरब्बा नम्बर 57 किलानम्बर 1 से 20(5.060), किला नम्बर 21 / 2(0.113), किला नम्बर 21 / 2(0.051), किला नम्बर 22 / 1(0.113), किला नम्बर 22 / 2(0.051), किला नम्बर 23 / 1(0.113), किला नम्बर 23 / 2(0.051), किला नम्बर 24 / 1(0.127), किला नम्बर 24 / 2(0.037), किला नम्बर 25 / 1(0.139), किला नम्बर 25 / 2(0.025) कुल 5.880 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 1 एवं 2(0.506), किला नम्बर 9 एवं 10(0.506), किला नम्बर 11 एवं 12(0.506), किला नम्बर 9 एवं 10(0.506), किला नम्बर 19 एवं 20(0.506), किलान म्बर 21 / 1(0.139), किला नम्बर 21 / 2(0.025), किला नम्बर 22 / 1(0.139), किला नम्बर 22 / 2(0.025), कुल 2.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

352 हैक्टर तदानुदासार कुल 14.999 हैक्टर नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता में आवेदक संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 1.000 हैक्टर, आवेदक संख्या 3 व 4 बहिस्सा बराबर 0.500 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 8.340 हैक्टर, अनावेदक संख्या 1— 0.375 हैकटर, अनावेदक संख्या 2 से 5 बहिस्सा बराबर 0.375 हैक्टर, अनावेदक संख्या 6—0.094 हैक्टर, अनावेदक संख्या 7—0.093 हैक्टर, अनावेदक संख्या 8 व 9 बहिस्सा बराबर 0.094 हैकटर, अनावेदिका संख्या 10—0.094 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 12 1.125 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13— 0.750 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14— 0.375 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 15— 1.784 हैक्टर संयुक्त खातेदारी कृषक हैं. पक्षकारान मृतक श्री बहादरसिंह परिवार के वंशज हैं, अनावेदकगण संयुक्त खाता की प्रश्नगत कृषि भूमि में से अच्छी किस्म की कृषि भूमि बिना विभाजन एवं बिना आवागमत व सिंचाई व्यवस्था का निर्धारण कराये किसी अजनबी को विक्रय करने में प्रयासरत हैं. यदि अनावेदकगण ऐसा करने में सफल हो जाते है, तो आवेदकगण को आवागमन एवं सिंचाई में अवरोध उत्पन्न होगा जिससे आवेदकगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि की काश्त नहीं कर पायेगें. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक, संयुक्त खाता की प्रश्नगत कृषि भूमि कुल 14.999 हैक्टर में से विभाजन से पूर्व अन्यत्र विक्रय करने से निषेधित करने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में नजरी नक्शा, चक 5 सी बड़ी, पटवार मण्डल सुजावलपुर भू—अ.निरीक्षण वृत हिन्दूमलकोट तहसील श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067—2070 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदकगण द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर जवाब आवेदनपत्र दिनांक 08 जनवरी, 2015 प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण अभिलेखीय खातेदार हैं जो अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं तथा बिना विभाजन किये हुऐ भी अपने हिस्सा को बंधक अथवा विक्रय करने के लिये स्वतन्त्र हैं. अतिरिक्त कथन में अंकित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार अभिलेखीय खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. इस प्रकार अनावेदकगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि को बंधक अथवा विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा न्यायिक दृष्टांतों कमशः—

1982 RRD 370 Ra, Maraom Vs Murldhar
1982 RRD 663 Mothiya Vs Ram Narain
1995 RRD 245 Ram Vs. Smt. Dhapi
1995 RRD 644 Gopi & ors Vs. Goda

सहायक कलक्टर एंव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

RRD 197 Lalaram Vs. Mishri Prasad & Anr
2007 RRD 405 Rajiram & Ors Vs Bhudram & Ors.
2005 RRD 505 Smt. Sajna & anr Vs. L.Rs. of Smt. Jaidi & Ors.
1999 RRD 472 Damodar Prasad Vs. Laxmi Narain & Ors
1992 RRD 445 Hajari Vs. State of Rajasthan
2010(3) DNJ(Raj) 1539 Rajendra Sharma Vs. Appellate Rent Tribunal, Sri Ganganagar
2005 RBJ 087 Ibrahim Vs. Indersingh
2012 RRD 020 Jagdish Singh & Anr Vs Ram Karan & Ors.
2005 RBJ 345 Bharatsingh Vs. Nathu
2006(2) RRT 1410 Madan Lal & Anr Vs. Tikkuram & Ors.

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक, पक्षकारान चक 5 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59/53 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 11/2(0.063), किला नम्बर 20/2(0.126), किला नम्बर 21(0.253) कुल 0.442 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 56 किला नम्बर 1 से 25(6.325), मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 1 से 20(5.060), किला नम्बर 21/2(0.113), किला नम्बर 21/2(0.051), किला नम्बर 22/1(0.113), किला नम्बर 22/2(0.051), किला नम्बर 23/1(0.113), किला नम्बर 23/2(0.051), किला नम्बर 24/1(0.127), किला नम्बर 24/2(0.037), किला नम्बर 25/1(0.139), किला नम्बर 25/2(0.025) कुल 5.880 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 1 एवं 2(0.506), किला नम्बर 9 एवं 10(0.506), किला नम्बर 11 एवं 12(0.506), किला नम्बर 9 एवं 10(0.506), किला नम्बर 19 एवं 20(0.506), किलान म्बर 21/1(0.139), किला नम्बर 21/2(0.025), किला नम्बर 22/1(0.139), किला नम्बर 22/2(0.025), कुल 2.352 हैक्टर तदानुदासार कुल 14.999 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाल में से किसी किला विशेष को बंधक, विक्रय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्य रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 19 जनवरी, 2015 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.